

पीठासीन अधिकारी—श्री रमेश देव आर.ए.एस.  
वाद संख्या—201/2023

रशपालसिंह पुत्र बहादरसिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंह वाला तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब)

—वादी—

### बनाम

1—गुरजीतकौर पत्नी बहादरसिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंह वाला तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब) 2—सुखपालकौर पुत्री बहादरसिंह पत्नी जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंह वाला हाल आबाद हमीदी (पंजाब) 3—गुरचरणसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 4—गुरलालसिंह पुत्र रुड़सिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 5—बलकरणसिंह पुत्र रुड़सिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 6—पवनदीपकौर पत्नी निर्मलसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 7—मोहरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 8—गीतासिंह उर्फ गुरमीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा 9—गुरमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 10—आरएमजीबी, बैंक शाखा, संगरिया, जरिए मैनेजर। 11—तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण—

। दावा बाबत—इस्तकरार हक एवं कृषि जो विभाजन।

उपस्थित वकील

निर्णय दिनांक...8.6.2023

1—वादी—ओमप्रकाश शर्मा

2—प्रतिवादी सं. 1-2 नवरत्न स्वामी

3—राज पेरोकार।

### निर्णय

वादीगण द्वारा जरिए वकील इन तथ्यों के आधार पर अर्जीदावा पेश किया कि वादी एवं प्रति0 संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है वादी एवं प्रति0 संख्या 1 व 2 के पति/पिता बहादरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75 में योग खाता 1.012 है0 में से 0.241 है0 तथा चक नं. 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84 में योग खाता 1.265 है0 में से 0.148 है0 भूमि दर्ज जमाबन्दी में है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है तथा कुल भूमि का विवरण इस प्रकार से है, कि चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75 में पं. नं.163/132 मु.नं. 39 कि.नं.19 /0.253 व पं. नं. 168/128 मु.नं. 04 कि.नं. 4 से 6/0.759, योग खाता 1.012 है0 व चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84 में पं.नं. 165/120 मु.नं. 66 कि.नं.15/1/0.228, 15/2/0.025, प.न. 166/120 मु.न. 67 कि.न. 9-11-12-19/1.012 योग खाता 1.265 है0 भूमि है। वादी के पिता बहादरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह का देहान्त हो चुका जिनके जायज एवं विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ही है दावा में वादी ने अपनी वंशावली अंकित की है। इस प्रकार बहादरसिंह के विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही है। प्रति0 सं. 1 व 2 उक्त पहरा संख्या 2 में वर्णित बहादरसिंह के नाम कृषि भूमि में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उन्होने अपने-अपने

क्रमशः.....2

खता की कृषि भूमि वादी के हक में छोड़ दी है अब वादी अपने पिता की कुल भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है जिसे घोषित करवा अपने नाम दर्ज कराने का मुश्तहक एवं दावेदार है। वादी का अन्य सह-खातेदारान के साथ मोखिक रूप से घरु विभाजन हो चुका है मुताबिक घरु विभाजन वादी के कब्जा काश्त में निम्न लिखित अनुसार भूमि है :-वादी-रशपालसिंह पुत्र बहादरसिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंह वाला के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :-चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75 में सम्वत् 2071-2074 :-

पं. नं. मु.नं. किला नंबर  
168/128 04 4/0.241 योग 0.241 है0

चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84 में सम्वत् 2071-2074 :-

पं. नं. मु.नं. किला नंबर  
165/120 66 15/1/0.148 योग 0.148 है0

कि वादी की भूमि सांझा खाता में दर्ज होने व ऑन लाईन जमाबन्दी बनने के बाद उक्त खाता विवादित कर फ्रिज कर दिया गया है इससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे अपनी भौतिक कब्जा काश्त अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण पहले तो आजकल आजकल कहकर टालमटोल करते रहे अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी दिनांक 24.05.23 मुकर्र की गई। लेकिन प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हो जाने से उक्त पत्रावली ग्राम भांखरावाली में रखी गई। कैम्प कोर्ट में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 ने स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की तरफ से श्री नवरत्न स्वामी ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादीगण का जबाब प्रस्तुत किया एवं राज पेरोकार ने भी अपना जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दावा में राजीनामा पेश होने से तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई दौराने बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी ने मुताबिक राजीनामा दावा को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया बहस वकूलाये सुनने के बाद हमने पत्रावली एवं जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज है तथा वादी ने अपने ग्राम के सरपंच की वारिसनामा की तस्दीक पेश की है एवं वाद में राजीनामा पेश होने से वाद वादी एवं प्रतिवादीगण पूर्णतया साबित पाये जाते है, तथा कैम्प कोर्ट की मंशा सुलभ न्याय के वादी का वाद डक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि वादी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75 चक नं. 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84 में अपने पिता बहादरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह की भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से बहादरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे। तथा राजीनाम के पहरा संख्या 2 अनुसार मृतक रूपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह की भूमि का उसके सगे भाई प्रति0 8-गीतासिंह उर्फ गुरमीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अत मृतक रूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा राजीनामा अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर रकम राज अलग-अलग से कायम

क्रमशः.....3

करने के आदेश दिये जाते है :-

(क) वादी रशपालसिंह पुत्र बहादरसिंह जाति जटसिख साकिन चक फतेहसिंह वाला की भूमि  
चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75

पं. नं. मु.नं. किला नंबर  
168/128 04 4/0.241 पश्चिमी पासा योग 0.241 है0

(ख) वादी रशपालसिंह पुत्र बहादरसिंह व प्रतिवादी सं. 07-मोहरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति  
जटसिख साकिनान चक फतेहसिंह वाला की बहिब0 भूमि

चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

165/120 66 15/1/0.228नहरी, 15/2/0.025 गैमु0खाला, योग 0.253 है0

(ग) प्रतिवादी सं.-4-गुरलालसिंह 5-बलकरणसिंह पि0 रूडसिंह जाति जटसिख साकिन  
संतपुरा की बहिब0 भूमि

चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75

पं. नं. मु.नं. किला नंबर

168/128 04 5/0.127 पूर्वी पासा, 6/0.253 योग 0.380 है0

चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

166/120 67 9-12-19/0.759, 11/0.126 पूर्वी पासा योग 0.885 है0

(घ) प्रतिवादी सं.-8-गीतासिंह उर्फ गुरमीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक  
फतेहसिंह वाला की भूमि

चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

166/120 67 11/0.127 पश्चिमी पासा योग 0.127 है0

(ङ) प्रतिवादी सं0 03-गुरचरणसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन चक फतेहसिंह  
वाला की भूमि

चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

168/128 04 4/0.012 पश्चिमी पासा, 5/0.126 पश्चिमी पासा, योग 0.138 है0

(च) प्रतिवादी सं0 06-पवनदीपकौर पत्नी निर्मलसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की भूमि  
चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75 में सम्वत् 2071-2074 :-

पं. नं. मु.नं. किला नंबर

163/132 39 19 /0.253

योग 0.253 है0

नोट:- यदि ऋणी काश्तकार का हिस्सा प्रभावित न हो तो बैंक रहन यथावत् रखा जावे।

नियमानुसार परचा डिक्री जारी होकर पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील  
दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक.....११/६/२०२३.....मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

प्रशासक, न्यायालय, जिला अभियान, २०२३  
दिनांक ११/०६/२०२३ (SPO)  
अभिधी न्याय अमल २०२३

डिगरी एवं मुकदमें इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत- सहायक कलक्टर, संगरिया  
बड़जलास- श्री रमेश देव आर ए एस



रशपालसिंह पुत्र बहादरसिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंह वाला तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब)

-वादी-

बनाम

1-गुरजीतकौर पत्नी बहादरसिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंह वाला तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब) 2-सुखपालकौर पुत्री बहादरसिंह पत्नी जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक फतेहसिंह वाला हाल आबाद हमीदी (पंजाब) 3-गुरचरणसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 4-गुरलालसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 5-बलकरणसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 6-पवनदीपकौर पत्नी निर्मलसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 7-मोहरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 8-गीतासिंह उर्फ गुरमीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा 9-गुरमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया 10-आरएमजीबी, बैंक शाखा, संगरिया, जरिए मैनेजर। 11-तहसीलदार राजस्व संगरिया।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत-इस्तकरार हक एवं कृषि जो विभाजन

मुकदमा नम्बर 201/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई नवरत्न स्वामी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि:-वादी चक नं. 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75 चक नं. 2 के. एस.डी. खाता सं. 99/84 में अपने पिता बहादरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह की भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से बहादरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे तथा राजीनाम के पहरा संख्या 2 अनुसार मृतक रूपसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह की भूमि का उसके सगे भाई प्रति 8-गीतासिंह उर्फ गुरमीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अत मृतक रूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा राजीनामा अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर रकम राज अलग-अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते हैं :-

(क) वादी रशपालसिंह पुत्र बहादरसिंह जाति जटसिख साकिन चक फतेहसिंह वाला की भूमि

चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75

| पं. नं. | मु.नं. | किला नंबर            |
|---------|--------|----------------------|
| 168/128 | 04     | 4/0.241 पश्चिमी पासा |

योग 0.241 है 0

क्रमशः.....2

2/2/23

जिला मजिस्ट्रेट (S.D.J.)  
संगरिया

(ख) वादी रशपालसिंह पुत्र बहादरसिंह व प्रतिवादी सं. 07-मोहरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिनान चक फतेहसिंह वाला की बहिब0 भूमि

चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

165/120 66 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 गैमु0खाला, योग 0.253 है0

(ग) प्रतिवादी सं.-4-गुरलालसिंह 5-बलकरणसिंह पि0 रुड़सिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की बहिब0 भूमि

चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75

पं. नं. मु.नं. किला नंबर

168/128 04 5/0.127 पूर्वी पासा, 6/0.253

चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

166/120 67 9-12-19/0.759, 11/0.126 पूर्वी पासा योग 0.885 है0

(घ) प्रतिवादी सं.-8-गीतासिंह उर्फ गुरमीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक फतेहसिंह वाला की भूमि

चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता सं. 99/84

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

166/120 67 11/0.127 पश्चिमी पासा योग 0.127 है0

(ङ) प्रतिवादी सं0 03-गुरचरणसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन चक फतेहसिंह वाला की भूमि

चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75

पं. नं. मु.नं. कि. नंबर

168/128 04 4/0.012 पश्चिमी पासा, 5/0.126 पश्चिमी पासा, योग 0.138 है0

(च) प्रतिवादी सं0 06-पवनदीपकौर पत्नी निर्मलसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की भूमि चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. 11/75 में सम्वत् 2071-2074 :-

पं. नं. मु.नं. किला नंबर


163/132 39 19/0.253

योग 0.253 है0

नोट:- यदि ऋणी काश्तकार का हिस्सा प्रभावित न हो तो बैंक रहन यथावत् रखा जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक..........को अदा करे।।

बसब्त मैरें दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....१२.६.२०२३.....को जारी किया गया।

  
प्रशासन एवं संपत्ति अधिकारी, 2023  
जिलाधिकारी (SDO)  
जिला स्थान: अमृतसर